IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
Notice under Order V Rule 20 Code of Civil Procedure
CM (M) 3232/2024
Petition under Article 227 of the Constitution of India against the order Dt. 02/08/2023 & 08/05/2024 passed by Ms. Mayuri Singh, PO MACT, East, Karkardooma Courts, Delhi in MACT NO. 826/2019.

MOHAMMAD GULAM SARVER & ORS.
Vs.
VIVEK AHUJA & ORS.

Notice to Respondent(s):-

Sh. Vivek Ahuja S/o Mr. Subhash Ahuja,R/o A-1/197, Block-A, Pkt-1, Sector-17, Rohini North, WestDelhi-110089.

Whereas the above noted petitioner has presented a petition under Article 227 of the Constitution of India which was listed before the court on 27/08/2024 and the Court ordered issuance of notice to you. And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner. Notice is hereby issued that if you wish to defend the above mentioned petition you may cause an appearance to be entered on your behalf either in person or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Court of Joint Registrar (Judl.) on **12/05/2026 (actual) at 11.00 a.m.** If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorized to act for you in the said petition on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said petition will be given and the same will be heard and determined ex-party in your absence. Given under my hand and the seal of this Court, this the **01st day of April, 2026.**

Assistant Registrar for Registrar General

"प्रपत्र सं. आईएनसी–28"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष
उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय–II,
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (6) के खंड (ए) के मामले में
और
के मामले में
मैसर्स श्रीन हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U55200CH2021PTC043833)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 265, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–I, चंडीगढ़–160002, चंडीगढ़, इंडिया में स्थित है

याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 26.03.2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र निदेशालय–II, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर तीसरा फ्लोर, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नंबर 4–बी, सेक्टर–27बी, चंडीगढ़–160019, पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 265, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–I, चंडीगढ़–160002, चंडीगढ़, इंडिया

कृते आवेदक की ओर से
मैसर्स श्रीन हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/– जितेश (निदेशक) डीआईएन : 09819082
हस्ता/– अक्षित (निदेशक) डीआईएन : 10272136
दिनांक : 19.04.2026
स्थान : चंडीगढ़

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

OA NO. 398/2025

बैंक ऑफ बड़ौदा — आवेदक
बनाम
मैसर्स शुभिम एंटरप्राइजेज एवं अन्य — प्रतिवादी

सेवा में

1. **मैसर्स शुभिम एंटरप्राइजेज,** निवासी 111–112सी, न्याय खंड ।।, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201014
2. **श्री दरबान सिंह नेगी, पिता श्री केसर सिंह नेगी,** निवासी 111–112सी, न्याय खंड ।। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201014
3. **श्रीमती अनीता नेगी पत्नी श्री दरबान सिंह नेगी,** निवासी 111–112सी, न्याय खंड ।। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201014
4. **श्रीमती बिमला गोसाई पुत्री श्री मनोहर सिंह,** निवासी 111–112सी, न्याय खंड ।। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201014

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध **रुपये 33,25,637/– (रुपये तैंतीस लाख पच्चीस हजार छह सौ सैंतीस मात्र)** की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए यह सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी गई है, आपको दिनांक **24.04.2026 को एलबी. रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट **www.tribunal.gov.in** देखें फोन 011-23748473).

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

(i) सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर या सिस्को वेबएक्स वीसी लिंक के माध्यम से) भाग ले सकते हैं।
(ii) वी.सी. के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ता/विवादी "सिस्को वेबेक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;
(iii) "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" जो माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–I एवं वसूली अधिकारी–II द्वारा की जाने वाली सुनवाई की अगली तिथि के लिए डीआरटी अधिकारी पोर्टल **"drt.gov.in"** पर सार्वजनिक सूचना प्रमुख के अंतर्गत सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व उपलब्ध होगा।
(iv) किसी भी आवश्यकता हेतु, अधिवक्ता/विवादी संबंधित अधिकारी से फोन नं. 011–23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक **16 अप्रैल 2026** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

ऋण वसूली अधिकरण–I/II के समक्ष
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी I)
4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
मांग सूचना
ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना।

आरसी/508/2025 — 17/02/2026

आईडीबीआई बैंक बनाम गगन दीप एवं अन्य

सेवा में,
(सीडी1) गगन दीप, पुत्र रूप सिंह, निवासीः एच–1/21, टॉप फ्लोर, विकासपुरी, तिलक नगर, पश्चिम दिल्ली–110018
अन्य पताः फ्लैट नं.बी 2702, 27वीं मंजिल, टावर बी, अजनारा पैनोरमा, प्लॉट नंबर जीएच 04, सेक्टर 22ए, यैंडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301
(सीडी 2) सुनीता सिंह, निवासीः एच 1/21, टॉप फ्लोर, विकासपुरी, तिलक नगर, पश्चिम दिल्ली–110018
अन्य पताः फ्लैट नंबर बी2702, 27वीं मंजिल, टावर बी, अजनारा पैनोरमा, प्लॉट नंबर जीएच 04, सेक्टर 22ए, यैंडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301
(सीडी 3) मेसर्स अजनारा इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 502, सचदेवा कॉर्पोरेट टॉवर, कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर, दिल्ली–110092
अन्य पताः डी–247/26, सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

आपको सूचित किया जाता है कि ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी1) के पीठासीन अधिकारी द्वारा टीए/995/2023 में पारित आदेशों के अनुपालन में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, ? 57,25,790.18 की राशि, साथ ही लंबित और भविष्य का ब्याज @ 11% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिनांक 19/02/2022 से वसूली होने तक, और ? 40,000 (केवल चालीस हजार रुपये) का खर्च आपके विरुद्ध (संयुक्त और पृथक रूप से/पूर्ण/सीमित) देय हो गया है।

2. आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, विफल रहने पर 'बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993' और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक शपथ पत्र पर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करें।
4. आपको आगे की कार्यवाही के लिए 22/04/2026 को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगेः
(क) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस सूचना के तुरंत बाद की अवधि के लिए देय ब्याज।
(ख) इस सूचना की तामील, वारंट और अन्य प्रक्रियाओं तथा देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए समस्त लागत, शुल्क और व्यय।

आज दिनांक 17/02/2026को मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत जारी

रविंद्र कुमार तोमर
वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

HDFC BANK — We understand your world

विशेष परिचालन विभाग, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

निम्न उल्लिखित उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिन्होंने एचडीएफसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है और जिनके ऋण खाते को 30–04–2025 को को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण के प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 25.11.2025 को उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ बिना सेवा दिए वापस आ गए हैं, अतः उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

ऋणकर्ता और बंधककर्ता का नामः 1. मेसर्स रसिक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः बिल्डिंग नंबर 953–956 एजे चौंबर्स, चौथी मंजिल, कमरा नंबर–407, स्ट्रीट नंबर 4, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

निदेशक व्यक्तिगत गारंटर का नामः– 2. श्री गिरधारी खंडेलवाल, पुत्र श्री रतन लाल खंडेलवाल निवासी मकान नंबर 7, माधव कुंज, सुनरख बांगर, वृंदाबन, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281121 3. श्री रशिक खंडेलवाल पुत्र श्री गिरधारी खंडेलवाल निवासी मकान नंबर 7, माधव कुंज, सुनरख बांगर, वृंदाबन, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281121

निदेशक का नामः– 4. श्री गोपाल खंडेलवाल पुत्र श्री गिरधारी खंडेलवाल निवासी मकान नंबर 7, माधव कुंज, सुनरख बांगर, वृंदाबन, मथुरा, उत्तर उत्तर प्रदेश–281121

कॉर्पोरेट गारंटर का नामः 5. मेसर्स रसिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः – 141 किमी दिल्ली आगरा बाईपास, अलवर रेलवे ब्रिज के पास, कृष्णा नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281004

चल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति का विवरण	निम्न के स्वामित्व वाली संपत्ति,
सभी वर्तमान और भविष्य के स्टॉक और बही ऋणों पर अनन्य प्रभार के माध्यम से दृष्टिबंधक।	रसिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

अचल संपत्तियों का विवरण

अचल संपत्ति का विवरण	मालिक
प्लॉट संख्या 1/1, औद्योगिक क्षेत्र, तहसील– छाता, जिला– मथुरा, कोसी कोटवान, विस्तार–2, तहसील छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश– 281403. क्षेत्रफल–28011.15 वर्ग मीटर *	रसिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
सूचना की तिथिः 25.11.2025	**एनपीए की तिथिः 01.01.2025**

बकाया राशि (31.03.2026 तक): रु.16,59,09,285.86 (सोलह करोड़ उनसठ लाख नौ हजार दो सौ पचासी रुपये और छियासी पैसे मात्र) तथा 01.04.2026 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज और दंडात्मक शुल्क देय है।

उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटर/बंधककर्ताओं को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा 60 दिनों की समाप्ति के बाद, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांकः 19.04.2026 — **कृते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड,**
स्थानः दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**

IndusInd Bank
सीबीए कार्यालयः IndusInd Bank Ltd., No. 34, G.N. Chetty Road, Chennai-600017, www.indusind.com
Ph: 0442834600 28346301 Fax: 04428346312

अचल सम्पत्तियों के ई–निलामी हेतु निलामी नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के परन्तुक के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के ई-निलामी (E-Auction) हेतु निलामी नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को जैसी है,जहाँ है, जो है जैसी है और जो कुछ भी है वहां है के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारन्टरों और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत– दाता इण्डसइंड बैंक लि0 से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूपये की बकाया राशी की वसूली हेतु दिनांक **08/05/2026** को निलाम किया जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम राशी निम्न वर्णितानुार होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का बैंक कब्जा का विवरण	ऋणधारक व सहऋणी का विवरण	प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख व राशि , पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 13(2)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि
बैंक का भौतिक कब्जा हैं। दिनांक 27/06/2025 से	उधारकर्ता– [illegible] C/o [illegible] Loan A/C No. RDK05019M	संपत्ति :- प्लॉट नम्बर 130 सुरज विहार बी, लेघा कॉलोनी, करणीसर, बिकानेर, राजस्थान एरिया का क्षेत्रफल 1705.5 वर्गफिट में स्थापित (जैसी है जहाँ है,जो है जैसी है और कुछ भी है वहां है) के आधार पर	दिनांक– 29/04/2022 को राशि रु. 16,69,359.62/- (सोलह लाख उनसठ हजार तीन सौ उनसठ और बासठ रुपये मात्र + [illegible]	आरक्षित मूल्य ₹ 16,03,710/- धरोहर राशि ₹ 1,60,371/-

नियम एवं शर्तें:– (1) बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.indusind.com या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। (2) निविदा दस्तावेज जमा करने के साथ-साथ बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10% राशि भी जमा करनी होगी। उस बैंक ने आरक्षित मूल्य और उत्तिखित बयाना राशि जमा (ईएमडी) तय कर दी है, इसे केवल आईएमपीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी और [illegible] (D.D.) के माध्यम से "होमज ईएमआई पूलिंग एसी. (सीएफडी)" खाता संख्या 00073564611059, आईएफएससी: [illegible]0000007 के पक्ष में **07/05/2026**, - दोपहर 4 बजे तक जमा किया जाएगा। , और शाखा का पताः नंबर 3, डिलेब रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई-600034। (3) सफल बोली लगाने वालों को बिक्री मूल्य का 25% भुगतान और जमा करना होगा (बोली के साथ पहले से भुगतान की गई 10% राशि कम) यानी खरीदार को ई-नीलामी की तारीख पर बिक्री की पुष्टि पर शेष 15% का भुगतान AFTER SALE COMITEE APPROVAL करना होगा। इसके बाद बिक्री मूल्य की 75% की शेष राशि बिक्री पुष्टिकरण पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है, जैसा कि सरफेसी अधिनियम के अनुसार माना गया है। (4) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रक्रिया को स्थगित/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। (5) इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुरुग्राम, 122003 हरियाणा। सहायता नंबर: 7291981124,25,26, और संपर्क श्री मिथलेश- 7080804666 सहायता ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com से किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं। और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए बैंक अधिकारी Lokesh Kumar- 9672444456 से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांकः **19-04-2026** — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान :– **Jaipur** — इंडसइंड बैंक लिमिटेड

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SAVE — Sustainable Aviation Research Foundation

सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी एवं पंजीकृत कार्यालयः– यूनिट नं.७८२, ७वीं मंजिल, बेगास मॉल, प्लॉट नं.६, सेक्टर–१४, द्वारका,नई दिल्ली –११००७५
संपर्क व्यक्ति – पिंटू कुमार ठाकुर– +९१ ९८१०७४४४३८

शुद्धिपत्र

कृपया **१७ अप्रैल २०२६** को इस समाचार पत्र में प्रकाशित ई–नीलामी बिक्री का संदर्भ लें। इस ई–नीलामी बिक्री सूचना में उधारकर्ता **राजेंद्र सिंह पुत्र पूरन सिंह और पूनम सिंह पत्नी राजेंद्र सिंह** का उल्लेख है।

इस सूचना में **राजेंद्र सिंह पुत्र पूरन सिंह और पूनम सिंह पत्नी राजेंद्र सिंह के संपत्ति** पते का गलत उल्लेख किया गया है। **कृपया संपत्ति का पता इस प्रकार पढ़ें: "संपत्ति संख्या १३५ की भूतल और पूरी पहली मंजिल (छत के अधिकार के बिना), जिसका क्षेत्रफल १०० वर्ग गज है, खसरा संख्या ६८/२ से अलग की गई है, हरकेश नगर, नई दिल्ली ११००२० में स्थित है। (कब्जे का प्रकार – भौतिक)**

स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः १९.०४.२०२६ — **सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

आंचलिक कार्यालयः 9बी, पूसा रोड, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली, पिनकोड–10060
पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टावर, एनएच – 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, यूपी–221 105।

(परिशिष्ट IV) अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [नियम 8(1) के तहत]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए कहा जाता है। ऋणधारक राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित ऋणधारकों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन–देन न करें और इन परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन **उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा, जो नीचे दिए गए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित राशियों और उन पर ब्याज के लिए होगा।
नीचे वर्णित उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम ग्राहक का नाम –	उधारकर्ता/ गारंटर का नाम (संपत्ति का स्वामी)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि पर बकाया राशि
1	हरिद्वार	नीतू खाता संख्या – 1397060000006067	श्री नीतू पुत्र श्री पदम सिंह (ऋणकर्ता/गिरवीदार) श्रीमती भारती पत्नी श्री नीतू (सह–ऋणकर्ता)	08-01-2025	16-04-2026	₹ 8,01,950/-

संपत्ति का विवरण (संपत्ति के सभी भाग सहित): आवासीय संपत्ति का वह भाग जो मकान संख्या 1959, खाता संख्या 1878, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (यानी 55.76 वर्ग मीटर) और आवरण क्षेत्र 300 वर्ग फुट (यानी 27.88 वर्ग मीटर) है, मोहल्ला–न्यू मंडी बहार करना झबरेरा इद्रुद नगर, परगना–गैगलौर, तहसील–रुड़की, जिला–हरिद्वार, उत्तराखंड–249201 में स्थित है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में मंगत का मकान, उत्तर में इकरार का मकान, पश्चिम में खेड़ का मकान, दक्षिण में सड़क।

दिनांकः 19/04/2026 — हस्ता/–
स्थानः हरिद्वार — (प्राधिकृत अधिकारी) (शरवानु दत्ता) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय – उत्कर्ष टावर, एनएच – 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, यूपी–221 105।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अंतर्गत
अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

एतद्द्वारा , 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002' के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ता(ओं) को, नीचे बताए गए संबंधित ऋण खाते(खातों) के सामने अंकित तारीखों पर, एक 'मांग नोटिस' जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से उनसे यह मांग की गई है कि वे उक्त मांग नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर, मांगी गई राशि को उस पर लागू ब्याज दर के साथ चुका देंय साथ ही, भुगतान औरष्या वसूली की तारीख तक हुए भविष्य के लागू ब्याज, आनुषंगिक खर्चों और अन्य लागू शुल्कों का भुगतान भी करें। ऋणकर्ताओं/सह–ऋणकर्ताओं/गिरवीदारों द्वारा देय राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणकर्ताओं/सह–ऋणकर्ताओं/गिरवीदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिकृत कार्यालय ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए ऋण खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर, नीचे वर्णित संपत्ति, अर्थात् सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को, और सामान्य रूप से आम जनता को, इसके द्वारा यह चेतावनी दी जाती है कि वे सुरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन न करें, और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन, नीचे दिए गए ऋण खाते के सामने उल्लिखित राशि और उस पर लगने वाले ब्याज के संबंध में, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रभार के अधीन होगा।
नीचे वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते का नाम	उधारकर्ता/ गारंटर का नाम (संपत्ति का स्वामी)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि पर बकाया राशि
1	138406000 0000602	श्री एजाज अहमद (उधारकर्ता) श्रीमती परवीन बेगम (गारंटर/बंधककर्ता)	16/12/2025	16/04/2026	रूपये 5,83,172.71/– 16/12/2025 तक
	संपत्ति/संपत्तियों का विवरण (संपत्ति के सभी भाग एवं पार्सल): आराजी क्रमांक 1420 का वह समस्त भाग एवं पार्सल क्षेत्रफल 689.5 वर्ग. फुट. अर्थात 64.079 वर्ग. एमटीआर. मौजा खजूरी परगना– शिवपुर, तहसील एवं जिला वाराणसी, यूपी–221001 सीमा इस प्रकारः पूर्वः जुज भाग आराजी सहखातेदार पुनवासी पश्चिमः कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा उत्तररू मकान मुश्ताक और मुन्ना दक्षिणः जमीन अंजुमन बानो, जिनका हक माई आज बेनामा हो रहा है				
2	135206000 0006130	अल हिंद मोटर्स (मालिक श्री मोहम्मद सैफ के माध्यम से) (ऋणकर्ता) श्री मोहम्मद सैफ (सह–ऋणकर्ता) श्री शम्सुद्दोहा (सह–ऋणकर्ता/गिरवीदार)	13/01/2026	16/04/2026	रूपये 2,00,36,896.49/– 13/01/2026 तक
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति के सभी भाग और अंश सहित): अराजी संख्या 313 का वह भाग और अंश (कुल क्षेत्रफल 0.0190 हेक्टेयर) जिसमें से 1/4 भाग यानी 0.00475 हेक्टेयर और अराजी संख्या 316 जिसका कुल क्षेत्रफल 0.0500 हेक्टेयर है। कुल 2 गटा और कुल मापन क्षेत्रफल 0.05475 हेक्टेयर भूमि, मौजा–लहर पटर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश–221503। अराजी संख्या 316 की सीमा कुल 0.0500 हेक्टेयर हैः पूर्वः नंद लाल की भूमि, पश्चिमः मातादीन की भूमि, उत्तरः चक रोड, दक्षिणः अराजी संख्या 313। अराजी संख्या 313 की सीमा में से 0.00475 हेक्टेयर पूर्वः नंद लाल की भूमि, पश्चिमः मातादीन की भूमि, उत्तरः अराजी संख्या 316, दक्षिणः पक्की सड़क के बाद नाला है।				
3	136206000 0006217	श्रीमती अनीता (ऋणकर्ता/गिरवीदार) श्री इंद्रसन यादव (सह–ऋणकर्ता)	13/01/2026	16/04/2026	रूपये 73,27,103/– 13/01/2026 तक
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति के सभी भाग सहित): अराजी संख्या 372 मी. आवासीय भूखंड का वह भाग और अंश, जिसका क्षेत्रफल 0.01648 हेक्टेयर (अर्थात 166.70 वर्ग मीटर) है। यह भूखंड रामपुर, टप्पा इंदुपुर, परगना सिलाहट, तहसील सदर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश – 274202 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः खदानजा रोड (9 मीटर से कम चौड़ी), पश्चिमः भास्कर और अन्य की भूमि, उत्तरः मांडवी देवी की भूमि, दक्षिणः रमजान अली की भूमि।				
4	150106000 0000176	श्री भरत किशोर (उधारकर्ता/बंधककर्ता) श्रीमती शशिबाला (गारंटर)	20/01/2026	17/04/2026	रूपये 7,05,517.05/– 20/01/2026 तक
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति के सभी भागः मकान संख्या 441चजच्चद, 039, 093, आवासीय भूखंड पर निर्मित मकान संख्या 39 और 93, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (यानी 92.936 वर्ग मीटर) है, जो ग्राम मोहल्ला– तोपखाना, वार्ड–बालकगंज (अब बालागंज), पुराना तोपखाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226003 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में 15 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में बसंत का भूखंड, उत्तर में मनो सिंह का भूखंड, दक्षिण में विक्रेता की अराजी।				

दिनांकः 19/04/2026 — हस्ता/–
स्थानः वाराणसी — (प्राधिकृत अधिकारी) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

Welga's

**वैलगा फूड्स लिमिट